(1) प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव तेजी से और प्रभावी रूप से कम करने के लिए हर देश की क्षमता को बेहतर बनाना, जरूरत पड़ने पर विकासशील देशों को शीघ्र चेतावनी देने की प्रणालियां स्थापित करने में मदद देने की ओर विशेष ध्यान देना ;

(2) राष्ट्रों की सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा जानकारी को प्रयोग के लिए उचित दिशानिर्देश और कार्यनीतियां तैयार करना ;

(3) जानकारी के महत्वपूर्ण अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रयास करना ताकि जान और माल की हानि कम हो सके;

(4) प्राकृतिक आपदाओं के मूल्यांकन पूर्व सूचना, निवारण और उनके प्रभाव कम करने के उपायों के बारे में मौजूदा तथा नई जानकारी का प्रचार करना ;

(5) विशेष आपदाओं और स्थानों के संबंध में तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी के अंतरण प्रदर्शन परियोजनाओं तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के जरिए प्राकृतिक आपदाओं के मूल्यांकन, पूर्व सूचना, निवारण और उनके प्रभावों को कम करने के लिए उपाय विकसित करना तथा उन कार्यक्रमों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करना;

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा राहत दशक के दौरान कार्यकलापों में ताल-मेल बैठाने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक मुख्य-दल गठित किया गया है।

मध्य प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

1160. **श्री अजीत जोगी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण हेतु जनवरी, 1990 से 9 जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों, चावल, मंदा तथा कपड़े का आबंटन किया गया था ;

(ख) क्या ये मदें मध्य प्रदेश की सरकार को उनकी मांग के अनुसार आवंटित की गई है ; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए सरकार खाद्य तेलों के और अधिक कोटे के आबंटन का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई के लिए केन्द्रीय पूल से चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, राज्यों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय पूल में भंडार की स्थिति, बाजार में उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं, पहले उठाई गई मात्रा आदि को ध्यान में रखकर माह-दर-माह आधार पर किया जाता है।

मध्यप्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्धता के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। मध्य प्रदेश के लिए लवी चीनी का मासिक कोटा 25031 मी० टन है ।

विवरण

जनवरी, 1990 से जनवरी, 1991 (जिनमें ये दोनों महीने शामिल हैं) तक की अवधि में मध्य प्रदेश को आवंटित चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेलों की मात्रा

(हजार टनों में)

अवधि	चावल	गेहूं	लेवी चीनी	आयातित खाद्य तेल
जनवरी, 90 से जनवरी, 91	311.0	390.0	332.9*	38.00

*इनमें त्यौहार मौसम का कोटा भी शामिल है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मैदा की आपूर्ति नहीं की जाती है।

नियंत्रित कपड़े की कुछ मात्रा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों और प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से वितरित की जाती है।

विदेशी पर्यटक

1161. **श्री अजीत जोगी :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 से अब तक भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की वर्ष-वार तथा देश-वार संख्या कितनी है ?

(ख) वर्ष 1990 के दौरान प्रत्येक देश से कितने-कितने पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के पर्यटन विभाग ने अपने नागरिकों के लिये पर्यटन पर पाबन्दी लगा दी है जिसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ से आने वाले पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष घटती जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त पाबन्दी के कारण भारत पर्यटक विकास निगम को कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पर्यटक भेजने वाले मुख्य देशों से 1988 से भारत आये पर्यटकों की देश-वार संख्या नीचे दी गयी है :—

देश	1988	1989	1990 (अनुमानित)
1	2	3	4
जापान . . .	49,244	58,707	61,109
यू०के० . . .	200,509	229,496	223,500
यू०एस०ए० . . .	122,888	134,314	122,518